"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] रायपुर, मंगलवार दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 105/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2011/1045.—दिनांक 05 जुलाई, 2011 को नगर पंचायत भखारा, जिला धमतरी, छ.ग. के 02 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-105/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. उमराव सिंह साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत भखारा, जिला धमतरी, छ.ग.

2. ताराचंद साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत भखारा, जिला धमतरी, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 05 जुलाई 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 29 जनवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत भखारा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत भखारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों उमराव सिंह साहू एवं ताराचंद साहू द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों उमराव सिंह साहू एवं ताराचंद साहू को दिनांक 26 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना ज़ारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों उमराव सिंह साहू को 5 मार्च 2010 को तथा ताराचंद साहू को 6 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी उमराव सिंह साहू ने लिखित जवाब दिनांक 12 मार्च 2010 आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया है कि उनकी पत्नि का देहान्त दिनांक 25 दिसम्बर 2009 को हो जाने के कारण मानसिक तनाव से ग्रस्त होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा जोखा नहीं कर पाया तथा जवाब के साथ निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर रहे हैं. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. अभ्यर्थी उमराव सिंह साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 37क/स्था.निर्वा.व्यय लेखा/न.नि.निर्वाचन 2009/2011, दिनांक 14 मार्च 2011 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी उमराव सिंह साहू ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि उनकी पत्नि का देहान्त हो जाने के कारण वे निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर सके थे अतएव विलम्ब से प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा मानवीय आधार पर मान्य किया जाना उचित होगा. अन्य अभ्यर्थी ताराचंद साहू को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थी ताराचंद साहू को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी उमराव सिंह साहू को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26 मई 2011 को सुना गया तथा इनका शपथपूर्वक कथन लिपिबद्ध किया गया. अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उनकी पत्नि का देहान्त दिनांक 25 दिसम्बर 2009 को हो जाने के कारण निर्वाचन संबंधी लेखा के कागजात इधर उधर हो जाने के कारण जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने में विलंब हुआ. निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा दिनांक 15 मार्च 2010 को जमा किया गया है तथा इस विलंब के लिये वे क्षमा चाहते हैं.

5. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों उमराव सिंह साहू एवं ताराचंद साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी ने प्रतिवेदन में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 होना दर्शाया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) धमतरी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि नगर पंचायत भखारा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उमराव सिंह साहू द्वारा दिनांक 15 मार्च 2010 को विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है तथापि उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे अधिनियम की धारा 32 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है. उनकी पत्नि का देहान्त 25 दिसम्बर 2009 को हो जाने के उपरान्त निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27 जनवरी 2010 तक का समय पर्याप्त था. अत: उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित दलील मान्य योग्य नहीं है. अभ्यर्थी ताराचन्द साहू ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उसने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण उमराव सिंह साहू एवं ताराचंद साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों उमराव सिंह साहू एवं ताराचंद साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष पांच माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 05 जुलाई 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.